क्रम-संख्या-330

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 नवम्बर, 2007

कार्तिक 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2382/79-वि-1-07-1(क)9/2007

लखनऊ, 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)
(संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007]

(जैसा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पुनः संशोधनों सहित पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 1 दिसम्बर, 2007 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में, शब्द "तीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" और शब्द "अपने परिवार के सदस्यों के लिए" के स्थान पर शब्द "अपने परिवार के सदस्यों या एक सहवर्ती के लिए" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) प्रथम परन्तुक में आये शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2006 को की गई घोषणा और अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में संशोधन करके मुख्यतः भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य रेल कूपनों की सीमा तीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष करने, भूतपूर्व सदस्यों को तीन हजार रुपये प्रतिमास के स्थान पर पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने और एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए तीन सौ रुपये प्रतिमास के स्थान पर पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार बनाने के लिए व्यवस्था की जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै0 मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

No. 2382/LXXIX-V-1-07-1 (ka) 9/2007

Dated Lucknow, Novmber 21, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhiyan aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on November 19, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT N0. 37 OF 2007]

(As re passed with commendment by the Uttar Pradesh Legislature is pursuance of the first proviso to article 200 of the Constituion of India)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

It is hereby enacted in the Fifty-Eighth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall come into force on December 1, 2007.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2) for the words "thirty thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" and for the words "for the members of his family" the words "for the members of his family or one companion" shall be *substituted*.

Amendment of section 24

3. In section 24 of the principal Act, in sub-section (1),–

(a) for the words "three thousand rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*;

(b) for the words "three hundred rupees" appearing in the first proviso, the words "five hundred rupees" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In pursuance of the declaration made by the Chief Minister on August 30, 2006 and the recommendation of the Committee constituted under the Chairmanship of the Speaker, Legislative Assembly it has been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 mainly to provide for increasing the limit to rail coupons admissible to ex-members from thirty thousand rupees per annum to fifty thousand rupees per annum and entitling the ex-members to get pension at the rate of five thousand rupees per month instead of three thousand rupees per month and additional pension at the rate of five hundred rupees per month instead of three hundred rupees per month for every completed year in excess of one year.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By Order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–711 राजपत्र (हि०)–(1735)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–368 सा० विधायी–(1736)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।